



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 3a57657dfdeed89edf7c

Receipt Date : 17-May-2025 06:55:03 pm

Receipt Amount : 50/-

Amount In Words : Fifty Rupees Only

Document Type : Agreement or Memorandum of an Agreement

District Name : Sahibganj

Stamp Duty Paid By : EHSAS FOUNDATION

Purpose of stamp duty paid : RENT AGREEMENT

First Party Name : ANIL KUMAR

Second Party Name : EHSAS FOUNDATION

GRN Number : 2502348689



-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

किरायानामा विलेख

यह जगह किरायानामा विलेख आज दिनांक 17-05-2025 को साहेबगंज न्यायालय परिसर में उभय

पक्षकारो के आपसी सहमति से निष्पादित किया जाता है जो इस प्रकार है :-

प्रथम पक्ष (मकान मालिक) :- अनिल कुमार पिता - स्वर्गीय ओम प्रकाश यादव .साकिन कुलीपाड़ा कॉलेज रोड , साहेबगंज (नगर) .पोस्ट एवं जिला :- साहेबगंज (झारखण्ड) ।

द्वितीय पक्ष (किरायेदार) :- मो केशर अली (अध्यक्ष एहसास फाउंडेशन) मो कुदरत अली , साकिन बंगाली टोला ,थाना -साहेबगंज (नगर) ,पोस्ट एवं जिला :- साहेबगंज (झारखण्ड) ।

उपरोक्त पक्षकारो के बिच यह किरायानामा विलेख आपसी सहमति से निष्पादित किया जाता है :-

1- यह की प्रथम पक्ष का आवासीय मकान जिला अंतर्गत साहेबगंज ,मोहल्ला -कॉलेज रोड साहेबगंज थाना - साहेबगंज (नगर) वार्ड नं 12 होलिंग नं 03 में अवस्थित है उपरोक्त मकान में ग्राउंड फ्लोर पर 400 वर्ग फीट का एक हॉल है ।

2- यह की द्वितीय पक्ष को अपने NGO एहसास फाउंडेशन के तहत ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेण्टर जैसे कामो के लिए हॉल की आवश्यकता थी उसके लिए द्वितीयपक्ष ने प्रथम पक्ष से संपर्क किया और उपरोक्त जगह को भाड़े पे लेने के लिए प्रस्ताव दिया और प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को भाड़े पर सेण्टर के लिए जगह देने को तैयार हो गए ।

3- यह की प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को वर्णित मकान में यह जगह 01-06-2025 से 31-05-2028 तक तीन साल के लिए मासिक किराया 7000/- सात हजार रूपये के दर पर बिना विधुत कनेक्शन के दिया ।

4- यह की द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को 50000/- पचास हजार रूपये नगद जमानत (सिक्योरिटी मनी)के तौर पर बिना ब्याज उक्त जगह के बाबत दिया .इस शर्त पर के एग्रीमेंट की अवधी समाप्त होने के बाद अगर द्वितीय पक्ष जगह खाली करके प्रथम पक्ष को सौंप देता है तो इस जमानत की राशि को प्रथम पक्ष वापस कर देंगे ।

5- यह की द्वितीय पक्ष बिना लिखित अनुमति के दिए गए जगह में अपनी मर्जी से कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे ना ही जगह या जगह का कोई भी अंश किसी दूसरे को भाड़े पर (सबलेट) नहीं देंगे .अगर ऐसा किया गया तो जगह का एग्रीमेंट कैंसल हो जाएगा और जगह खाली हो जाएगा ।

6- यह की दोनो पक्षों के बिच तय हुआ की उक्त किराये की में द्वितीय पक्ष किसी प्रकार का आपत्ति जनक वस्तुओ का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही ऐसा व्यवसाय स्थापित करेंगे जो कानूनी रूप से असामाजिक एवं अंसवैधानिक हो भविष्य में ऐसा पाया जाता है तो उसकी पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी और एग्रीमेंट रद्द कर दिया जाएगा ।

7- यह की दोनो पक्षों के बिच तय हुआ की जब द्वितीय पक्ष अपना व्यवसाय को बंद या स्थानांतरित करेंगे तो उक्त जगह खाली करके सीधे प्रथम पक्ष को वापस करेंगे ।

8- यह की तय किराया द्वितीय पक्ष को प्रत्येक महीने की पहली सप्ताह के अंदर भुगतान कर देंगे .किराये की राशि को सिक्योरिटी मनी से कटौती नहीं किया जाएगा ।

09-यह की दोनो पक्षों के बिच तय हुआ की जब प्रथमपक्ष को निजी आवश्यकता हेतु या मकान बिक्री करने की जैसी स्थिति में द्वितीय पक्ष को जगह खाली करने के लिए 60 दिन पूर्व सूचना देंगे एवं यदि द्वितीय पक्ष अपनी मर्जी से जगह खाली करना चाहे तो 60 दिन पूर्व प्रथम पक्ष को सूचना देंगे। उक्त जगह के बाबत जमानत राशि 50000/ पचास हजार रूपये प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को तुरंत वापस करेंगे।

10-यह की दोनो पक्षों के बिच तय हुआ की किरायानामा विलेख में उल्लेखित शर्तों का उलंघन भविष्य में द्वितीय पक्ष करते हैं तो द्वितीय पक्ष द्वारा दिया गया सिव्योरिटी मनि फॉर फिट हो जाएगा और तुरंत उक्त जगह को खाली करना पड़ेगा।

11-यह की जगह आवासीय कॉलोनी में स्थित है इसलिये द्वितीय पक्ष उक्त जगह में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी भी तरह का खतरा उत्पन्न हो।

किराये की जगह का विवरण

जिला साहेबगंज के नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत कालेज रोड साहेबगंज वार्ड NO 12 होलिंग न -03 थाना -साहेबगंज (नगर) पोस्ट एवं जिला साहेबगंज स्थित मकान के ग्राउंड फ्लोर 400 वर्ग फीट का एक हॉल जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है :-

उत्तर- Dr. N.C PAUL दक्षिण - सुनील शर्मा का मकान

पूरब - गली पश्चिम - उमेश दास का मकान

यह की उपरोक्त कंडिका 01 से 11 तक में दिए तथ्य हम उभय पक्षकारों के कथा अनुसार तैयार किया गया जिसे दोनों ने अपने कथानुसार लिखा पाकर गवाहों के समक्ष अपना हस्ताक्षर /टिप निशान दिए ताकि उक्त जरूरत पर काम आवे एवं गवाहों के समक्ष स्वयंसे। इस किरायेनामे की छायाप्रति द्वितीय पक्ष की दिया गया है।

गवाहगन

गोठ डानव रवान - Mr. Anurag
गोठ पहाड़ी अली - Mr. Anurag

Anil Kumar
प्रथम पक्ष (मकान मालिक)

Mr. Anurag
द्वितीय पक्ष (किरायेदार)

VERIFIED

MD. MANZAR RAZA
Notary, Sahibganj (Jharkhand)

द्वारा प्रारूपित

अधिवक्ता

16.5.25